

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली राधिकावालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जसनेल सिंह

दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अताराकित प्रश्न संख्या : 85

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

क सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या एमएलए लैंड फंड से विधान सभा क्षेत्रों में सिक्वोरिटी गेट व साइन बोर्ड लगाए जा सकते हैं	शहरी विकास (एम.एल.ए.लैंड) सिक्वोरिटी गेट व साइन बोर्ड लगाना मौजूदा एम.एल.ए.लैंड दिशा-निर्देशों की Permissible work की लिस्ट में अंकित नहीं है।
ख	वर्ष 2015 से लेकर अब तक किन-किन विधानसभाओं में एम एल ए लैंड फंड से सिक्वोरिटी गेट व साइन बोर्ड लगवाए गए हैं ?	शहरी विकास (एम.एल.ए.लैंड) वर्ष 2015-16 से अब तक शहरी विकास विभाग द्वारा किसी भी विधानसभा में एमएलए लैंड फंड से सिक्वोरिटी गेट व साइन बोर्ड लगाने का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है
ग	क्या यह सत्य है कि विधायकों द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं व अस्वीकार कर लिए गए हैं,	शहरी विकास (एम.एल.ए.लैंड) वर्ष 2015-16 से अब तक शहरी विकास विभाग द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई भी प्रस्ताव किसी भी विधानसभा क्षेत्र का स्वीकृत नहीं किया गया है
घ	यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारणों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराये ?	शहरी विकास (एम.एल.ए.लैंड) उपरोक्त कार्य मौजूदा एम.एल.ए.लैंड दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत Permissible work की लिस्ट में शामिल नहीं है।